

समाचार-प्रकाशनार्थ :-

आने वाले पाँच वर्षों में गरीबों को पवक्के आवास बनाकर दिये जायेगे – श्री चौहान

प्रदेश के खजाने पर पहला हक प्रदेश के गरीबों का हैं
लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कार्य किया जायेगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रतलाम में दी अनेकों सौगाते

रतलाम 4 फरवरी । प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने गुरुवार को रतलाम जिले के ग्राम डोसीगाँव में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास ई.डब्ल्यु.एस. से निर्मित 101 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आने वाले पाँच वर्षों में गरीबों को पवक्के आवास बनाकर दिये जायेंगे। किसी भी गरीब को कच्चे मकान में रहने नहीं दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के खजाने पर पहला हक प्रदेश के गरीबों का है। श्री चौहान ने कहा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिये ही मैं मुख्यमंत्री बना हूँ और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रतलाम जिले के लिये अनेक सौगातों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 01 जुलाई से रतलाम शहर में हर घर में पीने का पानी पहुँचाया जायेगा। जिले में 1800 हेक्टेयर जमीन पर कल-कारखाने लगाये जायेंगे। जिले वासियों को इन कारखानों से रोजगार की प्राप्ति होगी। प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राथमिकता से हितग्राहियों को दिया जायेगा। जिले में मध्यमवर्गीय लोगों के लिये तीन हजार आवास दो करोड़ पचास हजार की लागत से बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज के लिये एक सौ पन्द्रह करोड़ की राशि खर्च की जायेगी। अण्डर ग्राउण्ड नालियाँ जून माह तक पूरी कर ली जायेगी। रतलाम जिले में एक सौ छब्बीस करोड़ की लागत से आन्तरिक सड़के बनायी जायेगी। 128 करोड़ की लागत से जिला चिकित्सालय का आधुनिकरण एवं आडोटोरियम का निर्माण किया जायेगा। शासकीय आवास बनाकर मेडिकल कॉलेज में आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। 150 करोड़ की लागत से व्यवसायिक काम्पलेक्स, सब्जी मार्केट आदि बनाया जायेगा। इसके अलावा 22 करोड़ की लागत से अमृत सागर झील का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान ताल के सौन्दर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ की राशि से किया जायेगा। आगामी दिनों में 25 करोड़ की राशि सड़क निर्माण, 22 करोड़ की राशि से ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेट वेण्डरों को 10 हजार रुपये की राशि का ऋण

दिया जायेगा जिससे वे अपना स्वरोजगार कर सकेंगे। श्री चौहान ने कहा कि रतलाम ज़िले के विकास के लिये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया एवं मौके पर ही प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को आवास की चाबी प्रदान की। उन्होंने दीनदयाल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किये तथा अमृत सागर सौन्दर्यीकरण योजना के अंतर्गत चार करोड़ रूपये की राशि का प्रमाण पत्र नगर निगम आयुक्त को प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहां कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला अवसर हैं जब वह रतलाम ज़िले में आये हैं। क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना प्यार एवं आशीर्वाद दिया है। जनता के लिये भले ही मेरी जान चली जाये लेकिन मैं जनता के आत्म विश्वास को टुटने नहीं दुंगा। जनता के जीवन को संवारने के लिये शासन एक लक्ष्य बनाकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 33 लाख नये गरीबों के नाम राशनकार्ड में जोड़े गये हैं। अब इन गरीबों को एक रूपये किलो के मान से चावल एवं गेंहु प्रदान किया जा रहा है। रतलाम ज़िले में पात्रता पर्ची में 13 हजार नये नाम जोड़े गये हैं। उन्हें भी राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहां कि गरीबों का राशन खाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहां कि बेटी का मान-सम्मान सबसे पहले है यदि कोई इनके साथ गलत व्यवहार करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहां के कोरोना समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पुनः गरीबों की बेटियों के विवाह कराये जायेगे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हितग्राहियों को 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। इस योजना के तहत पाँच लाख रूपये तक का ईलाज निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में किया जा रहा है। इस योजना के तहत दो करोड़ लोगों के कार्ड बनाये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहां कि उनका लक्ष्य प्रदेश के लोगों को रोटी-कपड़ा एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने किसानों के 550 करोड़ रूपये की राशि के ब्याज माफ किया हैं। 78 लाख किसानों के नाम किसान सम्मान योजना की सूची में जोड़कर केन्द्र सरकार को भिजवाया है। उन्होंने बताया कि तीन कृषि कानून किसानों के हित में है। मुख्यमंत्री ने कहां कि उनका लक्ष्य स्व सहायता समूह की महिलों को सशर्त बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना है। अब समूह की महिलाएँ स्कूल के बच्चों की ड्रेस सिलेगी। पोषण आहार बनायेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हर

किसान का गेंहु खरीदा जायेगा। उन्होंने इस अवसर पर जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि वे जिले में अवैध धंधा करने वाले माफियाओं एवं लोगों लुटने वाले चिटफण्ड कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। उनकी सम्पत्ति जप्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर में नल योजना के माध्यम से जल पहुँचाना मेरा लक्ष्य है।

सांसद श्री गुमानसिंह डामोर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान रतलाम जिले को नम्बर 1 का शहर बनायेगे। जिले में विकास की आपार सम्भावनाएँ हैं। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन देते हुए विधायक श्री चेतन्य कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रतलाम जिले के विकास के लिये पाँच साल का रोडमैप तैयार किया है। जिले को अनेकों सौगाते दिलायी हैं। उन्होंने कहा कि पूरा जिला मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा है।

कार्यक्रम में विधायक श्री राजेन्द्र पाण्डे, रतलाम ग्रामीण के विधायक श्री दिलीप मकवाना, पूर्व मंत्री श्री हिम्मत कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेन्द्रसिंह लुनेरा, जिला पंचायत प्रधान परमेश मईड़ा, श्री शैलेन्द्र डांगा, श्री अशोक चोटाला, श्री ईश्वरलाल पाटीदार, श्री मनोहर पोरवाल सहित जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में आम जनता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया के प्रतिनिधिगण, हितग्राहीगण मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने डोसीगाँव में अनेक कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया

रतलाम 4 फरवरी । प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने गुरुवार को रतलाम जिले के डोसीगाँव में आयोजित कार्यक्रम में 414. 98 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित 432 ई. डब्ल्यु.एस. आवास, 96 एम.आई.जी. आवास एवं 96 एल.आई.जी. फ्लेट्स का लोकार्पण किया। उक्त आवास की निर्माण राशि 55 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की लागत से निर्मित मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास अंतर्गत सैलाना बस स्टेण्ड से दो बत्ती चौराहे तक फोरलेन रोड निर्माण का लोकार्पण किया। उन्होंने एक करोड़ 35 लाख रुपये की राशि से निर्मित अमृत योजना हरित क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कालिका माता उद्यान के सौन्दर्यीकरण का लोकार्पण किया। अमृत योजनान्तर्गत ही अमृत सागर उद्यान के सौन्दर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया इसकी लागत एक करोड़ 32 लाख रुपये हैं। उन्होंने एक करोड़ 50 लाख रुपये से बने शहरी आवास भवन तथा 11 करोड़

की राशि से निर्मित आठ राजपत्रित, 12 अराजपत्रित एवं 48 आरक्षक आवास गृह का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 21 करोड़ की राशि से तालाब का पर्यावरणीय विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने सालाखेडी में बनाये जाने वाले ट्रान्सपोर्ट नगर का, 150 करोड़ की राशि से गोल्ड पार्क, 23.57 करोड़ की राशि से बनाये जाने वाले बाजना रेल्वे पुल पर फोरलेन, आरोबी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने 74.96 करोड़ की स्वर्णसागर बीबडोद आवासीय परियोजना एवं 43.28 करोड़ से बनाये जाने वाली टिंगरोड जो बंजली से मांगरोड़ फंटा मार्ग हैं उसके कार्य का भूमिपूजन किया।

लोकार्पण एवं भूमिपूजन के कार्यक्रम के अवसर पर सांसद श्री गुमानसिंह डामोर, विधायक चेतन्य कश्यप, विधायक श्री राजेन्द्र पाण्डे, रतलाम ग्रामीण के विधायक श्री दिलीप मकवाना, पूर्व मंत्री श्री हिमत कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेन्द्रसिंह लुनेरा, जिला पंचायत प्रधान परमेश मईड़ा, श्री शैलेन्द्र डांगा, श्री अशोक चोटाला, श्री ईश्वरलाल पाटीदार, श्री मनोहर पोरवाल सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद थें।

गंदगी करने पर 31 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 04 फरवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां—वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्रत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्द्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार महू रोड बस स्टैण्ड पर गंदगी करने पर सुरेश पर 250, समरथ, रणजीत सिंह, सुखराम व 3 अन्य पर 100—100, रतनलाल, ललीत, प्रफुल जैन, फरीद खान, नानूराम, बाबु, धुलजी, विष्णु, कमलसिंह, हनुमत, रफीक, अमर, मनीष, जगदीश, नाहरु व 1 अन्य पर 50—50 रुपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा

की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

631 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 04 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 04 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 631 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 04 फरवरी को शिवशंकर कालोनी, जावरा रोड पहलवान बाबा की दरगाह, नयागांव से 4 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा।

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

डोँगरे नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 17,64,000/- संपत्तिकर व 3,76,905/- जलकर जमा कराया

रतलाम 04 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 17,64,000/- संपत्तिकर व 3,76,905/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 5 से 6 फरवरी तक को डॉंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रत्नाम 04 फरवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण—पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण—पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रत्नाम 04 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आरथा के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे

कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाई दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 04 फरवरी। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाढ़, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 04 फरवरी। नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्रॉबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर

निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/04.02.2021/न.पा.निगम, रतलाम.